न्यायालय श्री ए०एच० गौरी, आर०ए०एस०, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 34/2011

(1) सुगनी
(2) हरिराम
(3) केशुराम
(4) श्रवणाराम
(5) टीकूराम
(6) हेतराम
(7) चन्दूराम
(8) पप्पूराम
(9) बाबूलाल
(10) रामगौरी
(11) सन्तोष

पिसरान हरखाराम जाति जाट निवासी करमीसर तहसील व जिला बीकानेर — अपीलान्टगण

बनाम

(1) मीरा
(2) लक्ष्मणराम
(3) रामदयाल
(4) प्रेमरतन
(5) देवीलाल
(6) मागराज
(7) राधादेवी
(8) कमलादेवी
(9) पुष्पादेवी
(10) जेठीदेवी

पिसरान कानाराम जाति जाट निवासी करमीसर तहसील व जिला बीकानेर

(11) राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज — रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक :–

1. श्री विजय भादाणी – अपीलान्टगण की ओर से
2. श्री बहादुरराम – रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10 की ओर से
3. श्री दामोदर दास व्यास – पैरोकारराज

—: निर्णय :—

दिनांक :— 12—09—2017

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के आज्ञा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर दिनांक 02—03—1991 के विरूद्ध दिनांक 15—09—2011 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

(2) संक्षेप में अपीलगीमो के निस्तारणार्थ आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कावनी तहसील बीकानेर स्थित खेत खसरा नम्बर 344 तादादी 66 बीघा 19 बिस्वा, 353 तादादी 38 बीघा 7 बिस्वा, 354 तादादी 19 बीघा 13 बिस्वा,

355 तादादी 73 बीघा 3 बिस्वा, 355 मिन तादादी 73 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 354 तादादी 50 बीघा भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पितागण हरखाराम व कानाराम जो सगे भाई थे तथा उनके सह–हिस्सेदारों गोकुलराम के वारिसान तथा बस्ती व मोटाराम पि0 रूघा व अमरा पुत्र बस्ताराम कौम जाट साकिन करणीसर की संयुक्त खातेदारी व हिस्सेदारी में दर्ज रही है। उक्त खातेदारान/हिस्सेदारों ने एक प्रार्थना पत्र आपसी सहमति के आधार पर घरू बंटवारा हेतु सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हलका ने दिनांक 27–02–1991 को इन्तकाल संख्या 26 खोलकर वास्ते आदेश उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जिस पर उक्त इन्तकाल संख्या 26 संयुक्त खातेदारों के नाम सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर ने दिनांक 02–03–1991 को तस्दीक कर दिया। इसी इन्तकाल के अन्तर्गत दर्ज खसरा नम्बर 355 की 115 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 354 व 355 की 19 बीघा 13 बिस्वा व 73 बीघा 4 बिस्वा भूमियों को विवादित करते हुए तथा इससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण यह अपील लेकर इस न्यायालय के सम्मुख आये है। अपीलान्ट्स के अनुसार मातहत अदालत ने आदेश जैर अपील बिना किसी सूचना, सुनवाई के एकपक्षीय विवादित ज्यूरिडिक्सन एवं ईल–लीगल एवं इम्प्रोपर रूप से पारित किये जाने से निरस्त योग्य है। अपील प्रार्थना पत्र के साथ दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए इसे प्रथम जानकारी के आधार पर मियाद के भीतर घोषित करने एवं अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अवैध होने से निरस्त करने का निवेदन किया है।

(3) इस अपील के नोटिस उत्तरवादीगण को भिजवाये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10 की ओर से श्री बहादुर राम सुथार, अभिभाषक उपस्थित आए और अपना अभिभाषक पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। राज्य की ओर से पैरोकारराज उपस्थित आए। अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख (इन्तकाल पंजिका) मंगवाया जाकर पत्रावली के साथ संलग्न करवाया। इस अपील कार्यवाही के चलते प्रार्थी–रेस्पोडेन्ट मामराज की ओर से उनके अधिवक्ता ने दिनांक 22–11–2014 को प्राथमिक कानूनी आपत्ति प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण ने अपील के साथ अपीलकृत आदेश की प्रति नहीं लगाई है, तो बिना अपीलाधीन आदेश के उक्त अपील इस प्राथमिक कानूनी आपत्ति पर ही निरस्त योग्य हो जाती है। इस आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने प्रस्तुत कर प्रकट किया कि अपीलाधीन आदेश इन्तकाल संख्या 26 दिनांक 02–03–1991 की प्रमाणित प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है अन्य कोई आदेश दिनांक 02–03–1991 को पारित नहीं किया गया था और ना ही इस बाबत अलग से कोई पत्रावली ही मुरतीब हुई। प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति खारिज करने का निवेदन किया। इस आपत्ति प्रार्थना पत्र पर जब प्रार्थना पत्र

का बहस अपील व बहस अन्तिम के साथ सुनने का निर्देश न्यायालय द्वारा दिया गया।

(4) सर्वप्रथम हम बहस योग्य अभिभाषकगण उभयपक्ष की प्रार्थी प्रत्यर्थी संख्या 6 मामराज द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक कानूनी बिन्दु पर सहायत की और उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया है। प्रार्थी–प्रत्यर्थी ने अपनी उक्त प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का 1993 आरआरडी पृष्ठ 814 पर छपे निर्णय शंकरलाल व अन्य विरूद्ध उम्मेदसिंह व अन्य का आधार लिया है। कानून की यह स्वीकृत स्थिति है कि धारा 75 डी में मूल आदेशों के खिलाफ ही अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान रखा गया है। इस केस मे यह देखा जाना है कि अपीलार्थी द्वारा जिस आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है, वह मूल आदेश है या नहीं। इस सम्बन्ध में हमने आक्षेपित इन्तकाल संख्या 26 का अवलोकन किया है जिसके कॉलम संख्या 16 में पटवारी द्वारा यह स्पष्ट रिपोर्ट की है कि मुताबिक प्रार्थना पत्र के सभी खसरा नम्बर में प्रार्थीगणों का हिस्सा है। अत मुताबिक आदेश प्रार्थना पत्र पर खसरा नम्बर 344, 354, 355 व 353 में जो जमाबन्दी के अलग–अलग खातों में दर्ज है। मुताबिक आदेश के खातेदार दर्ज का मुताबिक हिस्सा घरू–बंटवारा के नामान्तरकरण भरकर सेवा में उचित आदेशार्थ प्रस्तुत है और उसके नीचे पटवारी द्वारा दिनांक 27–02–1991 का अंकन किया हुआ है। इससे ये तात्पर्य निकलता है कि इस प्रकरण में एएसओ द्वारा आदेश दिया गया था, उसी की पालना में इन्तकाल संख्या 26 दिनांक 02–03–1991 को सत्यापित किया गया है जो निश्चित रूप से ओरिजनल आदेश की श्रेणी में नहीं आता है अपितु आदेशों की पालना में तस्दीक किया गया इन्तकाल है जो किसी भी प्रकार से ओरिजनल ऑर्डर की तारीफ में नही आता है। इस दृष्टि से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील ओरिजनल ऑर्डर के खिलाफ प्रस्तुत नहीं होने से अपील अपीलार्थी काबिले मंसूख हो जाती है। जो प्राथमिक आपत्ति के आधार पर ही खारिज योग्य हो जाती है।

(5) परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी ओरिजनल ऑर्डर के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 12–09–2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए0एच0 गौरी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर